

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

क्रमांक :- प.1(1)कार्मिक/निजी चिकि./2010-11/1996

दिनांक : 2/9/11

कार्यालय आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम-1970 के अन्तर्गत राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा सुविधा में विस्तार करते हुए निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता प्रदान की जाती है। निम्न चिकित्सालयों द्वारा के कुल बिल पर 20 प्रतिशत की छूट देय होगी :-

क्र.स.	चिकित्सालय का नाम एवं पता	दूरभाष/मोबाईल नम्बर
1	आदित्य होम्योपैथिक ट्रीटमेन्ट सेन्टर, एफ-55, मेजर शैतान सिंह कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर।	9414068389
2	भाला डेन्टल क्लिनिक ए-38, नियर हैड पोस्ट ऑफिस, शास्त्री नगर, जयपुर- 302016	0141-2301714
3	एस.जी. हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, 850, महावीर नगर-प्रथम, राम मंदिर के पीछे, टोंक रोड़, जयपुर।	0141-2545197

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मण्डल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

सचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक-सचिव/वि.स. एवं मु.ले.अ., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त वृत्त-..... राजस्थान आवासन मण्डल,
5. आवासीय अभियन्ता खण्ड-, राजस्थान आवासन मण्डल,
6. संबंधित हॉस्पिटल
7. समस्त प्रकोष्ठ (मुख्यालय)रा0आ0मं0 जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

सचिव